

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

:: शुद्धि-पत्र ::

अ0सं0-9/प्र0-02-01/2014, सा0प्र0.16871/पटना-15, दिनांक 20.12.16

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 16662 दिनांक 15.12.2016 के क्रमांक-22 की कंडिका-5 में आंशिक संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्थान पर पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना योगदान की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यमूल के आदेश से

  
(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक-9/प्र0-02-01/2014, सा0प्र0.16871/पटना-15, दिनांक 20.12.16

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/प्र0-02-01/2014, सा0प्र0.16871/पटना-15, दिनांक 20.12.16

प्रतिलिपि-सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/संबंधित नव प्रोन्नत प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/प्र0-02-01/2014, सा0प्र0.16871/पटना-15, दिनांक 20.12.16

प्रतिलिपि-ई0 गजट कोषांग (वित्त विभाग), बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।